**धारा 115 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र जिला न्यायालय में पुनरीक्षण।**

न्यायालय जिला न्यायाधीश.........

सिविल पुनरीक्षण सं.................................सन्...............

(अन्तर्गत धारा 115 सि. प्र. सं.)

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

वाद सम्पत्ति का मूल्यांकन................... रुपये वाद का नाम : व्यादेश के लिए वाद;

पुनरीक्षण आवेदन पत्र पर संदाय किया गया न्यायालय शुल्क........................... रुपये

श्रीमान् ,

वाद सं0................. सन्................... में XVIII अतिरिक्त मुन्सिफ........................के आदेश दिनांकित................ के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत किया जाता है।

**पुनरीक्षण के आधार**

1. क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय इसके उचित एवम् विधिक पहलू में संशोधन आवेदन पत्र पर न विचार करने में उसमें विहित की गयी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल हो गया।
2. क्योंकि ईप्सित संशोधन वाद की प्रकृति को परिवर्तित करने का तात्पर्य नहीं रखता है, इसलिए यह वाद वादी के दरवाजे, खिड़कियाँ तथा आकाश का प्रकाश को अवैधानिक ढंग से बन्द कर देने से उसको अवरुद्ध करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध व्यादेश हेतु है और परिवादी सेवक-सम्पत्ति पर प्रतिवादी के कब्जे की प्रकृति के बारे में सही तथ्यों की उसकी नोटिस को रखने के पश्चात् सुखाचार अधिनियम की धारा 32 और इसके उन दृष्टांतों में यथाकल्पित प्रतिकर के बारे में एक अनुतोष बढाने के लिए कहा जो प्रत्यक्षतः आवेदक के मामले पर लागू होगी. विद्वान् मुन्सिफ को आवेदक के इस प्रतिवाद पर कोई ध्यान नहीं दिया है और मनमाने ढंग से संदिग्धार्थी आदेश पारित किया है.
3. क्योंकि आवेदक उस सम्पत्ति की स्थल योजना को संशोधित करना चाहा है जिसके बारे में व्यादेश के अनुतोष का दावा किया जाता है। विद्वान् मुन्सिफ ने प्रस्तावित संशोधन के इस भाग पर बिल्कुल विचार नहीं किया है और उस पर उसका विनिश्चय देने के लिए अपवंचन किया है.

**प्रार्थना**

अतएव यह सादर प्रार्थना किया जाता है कि पुनरीक्षण आवेदनपत्र विद्वान मुन्सिफ के आदेश को अपास्त करने तथा वादी के संशोधन हेतु आवेदन पत्र को अनुज्ञात करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय.

**दिनांकित........... वादी के लिए अधिवक्ता**